बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक .....

संख्या–08 / मु०4–06 / 2026..... / माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No- 1370 / 2026 आनंद किशोर सिंह एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 29.01.2026 को आदेश के अनुपालन में यह आदेश पारित किया जा रहा है।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद में दिनांक 29.01.2026 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"...Considering the submissions of the parties, this Court finds it proper to direct the petitioner to file a detailed representation referring to the earlier representation before the Respondent No.3, Director, Primary Education, Education Department, New Secretariat, Patna, appending all supportive materials, including the order passed by this Court, within a period of four weeks and on filing of such representation, the case of the petitioner shall be adjudicated on its own merits, referring to the adjudication, which is said to have been made in the case of other similarly situated persons and finding his claim to be justified, necessary decision extending the benefits shall be taken within a further period of eight weeks...."

3. उक्त वाद से संबंधित वादीगण द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अधोहस्ताक्षरी स्तर पर उक्त वादीगण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के निस्तारण हेतु दिनांक 02.03.2026, दिनांक 18.03.2026 एवं दिनांक 06.04.2026 को सुनवाई आहूत की गई। इसमें वादीगण एवं विभागीय पक्ष रखने हेतु संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। इसके आधार पर निम्नांकित तथ्य दृष्टिगत हुआ :–

(i) वादीगण की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति वर्ष 1993 से 2001 के बीच में विभिन्न राजकीय बुनियादी विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर मैट्रिक (प्रशिक्षित) वेतनमान के रिक्त पद के विरूद्ध की गई। वादीगण पूर्णतः अस्थाई रूप में नियुक्त किये गये थे। यह नियुक्ति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा विभिन्न आदेश अन्तर्गत की गई।

(ii) वादीगण नियुक्ति के समय अप्रशिक्षित थे। अतः उन्हें मैट्रिक (प्रशिक्षित) वेतनमान के स्थान पर अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए देय वेतनमान स्वीकृत किया गया। इन्हें निम्न अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) संवर्ग में रखा गया।

(iii) इनके नियुक्ति पत्र में यह अंकित है कि नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर प्रारंभ होने वाली प्रशिक्षण सत्रों में प्रशिक्षण हेतु नामांकन सुविधा उन्हें दी जायेगी तथा प्रशिक्षण के लिए आदेश प्राप्त कर इन्हें प्रशिक्षण में जाना होगा। वादीगण से संबंधित विवरणी से

परिलक्षित होता है कि वादी श्री प्राण रंजन प्रसाद एवं श्री मनोज कुमार को छोड़कर शेष वादीगण को प्रशिक्षण हेतु नामांकन सुविधा तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त दी गई। अंकनीय है कि संबधित वादीगण द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने को यह माना गया कि यह विभाग की जिम्मेवारी है कि उन्हें प्रशिक्षित कराया जाय। वस्तुतः इनकी नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर हुई थी। अतएव अपेक्षित अहर्त्ता प्राप्त करने की मूल जिम्मेवारी संबंधित अनुकम्पा पर नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक की थी, जिन्हें विभाग द्वारा प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु सुविधा उपलब्ध कराया जाना था। इस प्रकार सरकारी महाविद्यालयों से इतर भी प्रशिक्षण प्राप्त करने का विकल्प इन्हें उपलब्ध था। साथ ही, पत्राचार माध्यम से भी प्रशिक्षण प्राप्त करने का विकल्प था, जिसका उपयोग वादीगण द्वारा नहीं किया गया।

(iv) वादीगण श्री आनन्द किशोर सिंह एवं अन्य (तत्कालीन सहायक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय) द्वारा नियुक्ति के तीन वर्षों के उपरांत मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 1034 दिनांक 30.06.2023 को अस्वीकृत किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-1370/2026 दायर किया गया।

(v) उक्त CWJC No-1370/2026 में वादीगण ने यह दावा किया है कि उनका मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No.7322 of 2017 (Abdus Samad v. The State of Bihar and Others) मे दिनांक 11.04.2018 को पारित आदेश से आच्छादित है। माननीय न्यायालय में वादीगण द्वारा समर्पित किये जाने वाले अभ्यावेदन की समीक्षा करने और समीक्षोपरान्त यदि वादीगण का मामला C.W.J.C. No.7322 of 2017 (Abdus Samad v. The State of Bihar and Others) में दिनांक 11.04.2018 को पारित आदेश से आच्छादित हो तो उन्हें तद्नुरूप लाभ दिये जाने पर निर्णय लेने हेतु निदेशित किया गया है।

(vi) उक्त C.W.J.C. No.7322 of 2017 (Abdus Samad v. The State of Bihar and Others) में दिनांक 11.04.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक 1982 दिनांक 08.11.2023 निर्गत है। इसके अवलोकन से विदित होता है कि मो0 अब्दुस समद की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर जिला शिक्षा अधीक्षक, सीतामढ़ी के ज्ञापांक 638 दिनांक 05.02.2002 द्वारा की गई। इनके द्वारा प्रशिक्षण की अहर्त्ता धारित करने के उपरान्त दिनांक 09.12.2012 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश एवं इस सम्बन्ध में दायर एल0पी0ए0 संख्या 502/2021 में दिनांक 08.07.2022 तथा इससे संबंधित एम0जे0सी0 संख्या 1704/2023 में दिनांक 06.10.2023 को पारित आदेश को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 1982 दिनांक 08.11.2023 के कंडिका 12 में यह अंकित है कि "अतएव उपरोक्त स्थिति में मो0 अब्दुस समद एवं अन्य कतिपय समरूप मामले में पूर्व में माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा चुका है, उसे अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है, परन्तु मो0 अब्दुस समद का दृष्टांश देते हुए सदृश्य मामलों में अन्य याचिकाकर्त्ता का दावा अस्वीकृत किया जाता है।"

(vii) वादीगण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के आदेश ज्ञापांक 936 दिनांक 25.07.2023 का भी संदर्भ लिया गया है। उक्त आदेश अन्तर्गत श्री राजेश कुमार, सहायक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, उदयरामपमुर, कैमुर एवं श्री मनोज कुमार, सहायक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, बक्सर को नियुक्ति तिथि से तीन वर्ष पूर्ण होने पर मैट्रिक प्रशिक्षित का वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

(viii) वादीगण का दावा है कि उन्हें भी नियुक्ति तिथि से तीन वर्षों के पश्चात् प्रशिक्षित वेतनमान स्वीकृत करते हुए अन्य परिणामी लाभ दिया जाय।

(ix) वर्त्तमान में वादीगण की प्रोन्नति अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) संवर्ग में हो जाने के कारण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त CWJC No- 1370/2026 में दिनांक 29.01.2026 को पारित आदेश के आलोक में वादीगण की परिस्थिति की समीक्षा मो0 अब्दुस समद के सापेक्ष करने पर स्थिति निम्नवत् दृष्टिगत हुई :–

क्रं0	मानक	अब्दुस समद के संदर्भ में	वादीगण के संदर्भ में	अभ्युक्ति
1	नियुक्ति का आधार	अनुकम्पा	अनुकम्पा	
2	नियुक्ति के समय प्रशिक्षण अहर्त्ता धारित	नहीं	नहीं	
3	नियुक्ति प्राधिकार	तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, सीतामढ़ी	क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	
4	संवर्ग	राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का जिला संवर्ग	निम्न अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) संवर्ग। यह प्रमंडल स्तरीय संवर्ग है।	
5	प्रोन्नति के उपरान्त संवर्गीय स्थिति	संवर्ग यथावत रहता है।	अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) संवर्ग। यह राज्य स्तरीय संवर्ग है।	
6	सेवाशर्त्त	राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सेवाशर्त्त के निर्धारण के लिए अलग से प्रावधान किए जाते हैं।	यह राजकीय विद्यालय है। इस विद्यालयों के शिक्षकों का सेवाशर्त्त राज्य कर्मियों के भाँति ही समान रूप से प्रभावी है।	

उक्त तालिका यह स्पष्ट करता है कि वादीगण की स्थिति मो0 अब्दुस समद के सापेक्ष "similarly situated" नहीं है।

5. वादीगण की नियुक्ति अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में की गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक 13.10.2023 के आलोक में निम्न अवर शिक्षा सेवा के वरीयता सेयाचिकाकर्त्ता 13 सहायक शिक्षकों में से प्रोन्नति की अर्हता रखने वाले 11 सहायक शिक्षकों को निम्न अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) संवर्ग से अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) संवर्ग में अस्थायी उच्चतर कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) दिया गया है। उक्त उच्चतर कार्यकारी प्रभार का लाभ प्राप्त होने तक इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी।

6. जहाँ तक क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के आदेश ज्ञापांक 936 दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ है, तो अंकित करना है कि यह निदेशालय अथवा विभाग के स्तर से लिया गया निर्णय नहीं होने के कारण इसे नीतिगत नहीं माना जा सकता है। गौरतलब है कि विभाग के स्तर से C.W.J.C. No.7322 of 2017 (Abdus Samad v. The State of Bihar and Others) में दिनांक 11.04.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक 1982 दिनांक 08.11.2023 निर्गत है, जिस पर आवश्यक विचार–विमर्श पूर्व की कंडिका में किया जा चुका है।

7. वर्णित स्थिति में वादीगण का दावा अनुमान्य नहीं होने के कारण इसे अस्वीकृत किया जाता है। उक्त अभिमत के साथ वादीगण के अभ्यावेदन को इस स्तर से निस्तारित किया जाता है।

ह0/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक:- 08/मु०4–06/2026...653/ पटना, दिनांक ...08.05.2026

प्रतिलिपि:– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2 (i) श्री आनन्द किशोर सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दावथ, रोहतास।
(ii) श्री प्राण रंजन प्रसाद, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, राजपुर, रोहतास।
(iii) श्री रजनीश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तिलौथु, रोहतास।
(iv) श्री प्रणव कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अकोढ़ीगोला, रोहतास।
(v) श्री मनोज कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सूर्यपुरा, रोहतास।
(vi) श्री हृषिकेश कुमार सिंह, पिता–स्व० विजय बहादुर सिंह, पता–वार्ड नं० 05, मछरगाँवा बाजार, थाना–योगापति, जिला–प० चम्पारण।
(vii) श्री चितरंजन कुमार राव, पिता–स्व० राम लोचन राव, ग्राम–खुशी टोला, थाना–बैरिया, जिला–प० चम्पारण।
(viii) श्री सुमन कुमार श्रीवास्तव, पिता–स्व० शंभू शरण श्रीवास्तव, ग्राम–चिंतावनपुर, थाना–मेहषि, जिला–पूर्वी० चम्पारण।
(ix) श्री राजेश राम, पिता–स्व० जय गोविन्द राम, पता–वार्ड नं० 31, अम्बेदकर कॉलोनी बसवरिया, थाना–बेतिया, जिला–प० चम्पारण।

(x) श्रीमती रेणु वर्मा, पति–स्व० नन्द किशोर प्रसाद श्रीवास्तव, पता–कालीबाग, घुसुकपुर, थाना–कालीबाग ओ०पी०, जिला–प० चम्पारण।

(xi) श्री अजीत कुमार, पिता–स्व० युगल किशोर राय, पता–नयाटोला, टेक्निकल चौक, थाना+जिला–मुजफ्फरपुर।

(xii) श्री विनय कुमार तिवारी, पिता–स्व० ब्रज किशोर तिवारी, पता–मुहल्ला विदेशी टोला, थाना–थावे, जिला–गोपालगंज।

(xiii) श्री कुमुद रंजन, पिता–श्री जयश्री लाल चौधरी, ग्राम–भोलूहई, थाना–शिकारगंज, जिला–पूर्वी० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे ।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।